न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 45/2020

1. आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 रजिस्टर्ड पता द्वितीय तल, नं0 3, जे वी टी टॉवर, 8th A, मैन रोड, एस आर नगर, बेंगलुरू (कर्नाटक), बॉच ऑफिस आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, पांचवी मंजिल, सांधी उपासना टावर, सी–98, शुभास मार्ग, सी स्कीम, जयपुर (राजस्थान) जरिये श्री अमित गोस्वामी, प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थी।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मनोज सोनी पुत्र श्री सत्यनारायन सोनी, निवासी–छीपा मौहल्ला, सिकन्दरा, जिला दौसा राजस्थान या श्री राधारानी ज्वैलर्स, मैन बाजार सिकन्दरा जिला दौसा या प्लॉट नं ए एवं बी/पट्टा नं0 12, सिकन्दरा सिकराय जिला दौसा राजस्थान।
2. श्री सत्यनारायन सोनी पुत्र श्री कल्याण सहाय सोनी, निवासी–छीपा मौहल्ला, सिकन्दरा, जिला दौसा राजस्थान या प्लॉट नं ए एव बी/पट्टा नं0 12, सिकन्दरा सिकराय जिला दौसा राजस्थान।
3. श्री गोपाल सोनी निवासी –ई 30, मॉडल टाउन, आगरा रोड, जयपुर राजस्थान या मै0 नवनीत सोनी ज्वैलर्स, द्वितीय क्रोसिंग जाट के कुए के पास, चॉदपोल बाजार, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री जितेन्द्र गंगावत, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>आदेश</u> दिनांकः 03.11.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कंपनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 रजिस्टर्ड पता द्वितीय तल, नं0 3, जे वी टी टॉवर, 8th A, मैन रोड, एस आर नगर, बेंगलुरू (कर्नाटक), बॉच ऑफिस आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, पांचवी मंजिल, सांधी उपासना टावर, सी–98, शुभास मार्ग, सी स्कीम, जयपुर (राजस्थान) ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री मनोज सोनी पुत्र श्री सत्यनारायन सोनी, निवासी–छीपा मौहल्ला, सिकन्दरा, जिला दौसा राजस्थान या राधारानी ज्वैलर्स, मैन बाजार सिकन्दरा जिला दौसा या प्लॉट नं ए एव बी/पट्टा नं0 12, सिकन्दरा सिकराय जिला दौसा राजस्थान को 10,29,045/(रूपये दस लाख उनतीस हजार पैंतालीस) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने से उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को जरिये रजिस्टर्ड डाक एवं 2 समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी कंपनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने से उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को जरिये रजिस्टर्ड डाक एवं 2 समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र मे अंकितानुसार बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत सिकन्दरा पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा द्वारा जारी आवासीय भूमि का पट्टा नंबर 12 जारी दिनांक 22.05.2017 क्षेत्रफल 192.99 वर्गगज जो कि सहऋणी श्री सत्यनारायण सोनी पुत्र श्री किलाण सहाय सोनी निवासी सिकन्दरा के नाम है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 03.11.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा